रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936
No. 248]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SHRAVANA 31, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 18 अगस्त, 2014

सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, पत्तन के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) के लेवी और अन्य प्रभारों की वसूली के बदले में प्रतिटन ऑन-बोर्ड श्रमिक दर निर्धारित किये जाने के लिए कांडला पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को निपटाते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए कांडला पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को, संलग्न आदेशानुसार, निपटाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास ... **आवेदक**

गणपूर्ति:

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अगस्त 2014 के 4थे दिन पारित)

यह प्रकरण, पत्तन के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) की लेवी और अन्य प्रभारों के बदले में ऑन-बोर्ड श्रमिक हेतु प्रतिटन दर निर्धारित किए जाने हेतु पत्तन द्वारा दाखिल किये गये प्रस्ताव के प्रसंग में इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त 2013 में प्रदत्त एक टिप्पणी में कांडला पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तावित संशोधन से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने केपीटी द्वारा सीएचडी की लेवी और अन्य प्रभारों के बदले में ऑन-बोर्ड श्रमिक हेतु प्रतिटन दर निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को निपटाते हुए एक आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त 2013 पारित किया था, जो भारत के राजपत्र में 2 सितंबर, 2013 को राजपत्र सं. 229 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

2.2. केपीटी की प्रस्तुतियों के आधार पर, धारा 3 - कांडला पत्तन न्यास स्थित कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के ऑन-बोर्ड श्रमिक के लिए समेकित प्रभार के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी आदेश के संलग्नक-IV के रूप में संलग्न करते हुए प्रदत्त की गई थी:

> "प्रति गैंग की लागत प्राप्त करने हेतु स्टीवेडोर द्वारा वास्तविक रूप में प्रहस्तित मात्रा हेतु राजस्व को उपलब्ध करवाये गये वास्तविक गैंगों की संख्या से विभाजित करना होगा और इसकी तुलना प्रति गैंग की राजस्व आवश्यकता से करनी होगी। यदि प्रति गैंग का वास्तविक राजस्व प्रति गैंग की उच्चतम औसत राजस्व आवश्यकता अर्थात ₹ 24,555/- से अधिक होगा तो अधिशेष को स्टीवेडोर को वापिस किया जाएगा और यदि यह कम होता तो इस कमी को स्टीवेडोर से वसूलना होगा।"

3. इस प्रसंग में, केपीटी ने दिनांक 10 मार्च, 2014 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की है:

(i). कथित आदेश के संलग्नक–IV की धारा 3 के अंतर्गत (प्रदत्त) टिप्पणी को पुनःप्रस्तुत करते हुए केपीटी ने कहा है कि तटीय एवं विदेशी दोनों कार्गो हेतु ₹ 24,555/- की समान राजस्व आवश्यकता प्रदान की गई है। इस प्रकार, भारत सरकार (जीओआई) के निर्देशों के अनुसार तटीय कार्गो हेतु उपलब्ध 40% की छूट का लाभ निकाल लिया गया है।

(ii). इस संबंध में, कांडला स्टीवेडोर्स एसोसिएशन लिमि. (केएसए) ने केपीटी को दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक पत्र भेजा, जिसकी एक प्रति पत्तन द्वारा इसके दिनांक 10 मार्च, 2014 के पत्र के माध्यम से भेज दी गई है । केएसए ने, अपने उपरोक्त पत्र में, निम्नलिखित प्रस्तुति की है:

(क) दिनांक 13 अगस्त, 2013 की टीएएमपी की अधिसूचना में अनुलग्नक–IV की पाद-टिप्पणी (फुट-नोट), ₹ 24,555/- प्रति-गैंग की राजस्व आवश्यकता को, विदेशी और/अथवा तटीय कार्गो में अंतर किये बिना ही दर्शाती है।

(ख) प्रति-गैंग दर आवश्यकता में किसी अंतर के अभाव में, तटीय दरों में 40% रिबेट को लागू करना जैसा प्रति मीट्रिक टन दर में विचार किया गया है, व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं हैं।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केएसए ने केपीटी से अनुरोध किया है कि वह इस असंगति/ विषमता पर उचित रूप से ध्यान दें और प्राधिकरण (टीएएमपी) से, क्रमश: विदेशी और तटीय कार्गों हेतु प्रति गैंग दरों में लागू सूत्र के आधार पर अंतर अधिसूचित करने के लिए अनुरोध करे ।

(iii) केएसए द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच केपीटी द्वारा की गई है और पत्तन ने तटीय कार्गो हेतु 40% छूट को समायोजित करते हुए पत्तन ने संशोधित प्रति गैंग की औसत राजस्व आवश्यकता (केवल टिप्पणी के उद्देश्य से) का परिकलन, निम्न प्रकार से किया है:

(क) विदेशी कार्गो (लौह अयस्क और तापीय कोयला छोड़कर) : ₹ 25,578/-

(ख) तटीय कार्गो (लौह अयस्क और तापीय कोयला छोड़कर) : ₹ 15,347/-

केपीटी ने यह भी बताया है कि लौह अयस्क और तापीय कोयला की प्रति गैंग औसत राजस्व आवश्यकता, तटीय और विदेशी दोनों कार्गो हेतु किसी बदलाव के बिना तथापि ₹ 24,555/- पर ही बरकरार रहेगी।

(iv) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केपीटी ने अनुलग्नक–IV की धारा 3 के तहत (प्रदत्त) कथित नोट में संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है। केपीटी ने 11 फरवरी, 2014 को आयोजित अपने न्यासी मंडल की बैठक में पारित सकल्प भी प्रस्तुत किया है जिसमें विदेशी और तटीय कार्गो के प्रहस्तन के लिए राजस्व आवश्यकता से संबंधित प्रचलित नोट में संदिग्धता को दूर करने हेतु निम्नलिखित टिप्पणी को अनुमोदित किया गया है:

"**प्रति गैंग लागत प्राप्त करने हेतु स्टीवेडोर द्वारा वास्तविक रूप में प्रहस्तित मात्रा के राजस्व को उपलब्ध करवाये गये वास्तविक गैंगों की संख्या से विभाजित करना है और इसकी तुलना प्रति गैंग की राजस्व आवश्यकता से करनी है । यदि प्रति गैंग का वास्तविक राजस्व प्रति गैंग की उच्चतम औसत राजस्व आवश्यकता से अधिक है** अर्थात् **विदेशी कार्गो (लौह अयस्क और तापीय कोयला के अलावा) हेतु ₹ 25,575, तटीय कार्गो (लौह अयस्क और तापीय कोयला के अलावा) हेतु ₹ 15347 और लौह अयस्क और तापीय कोयला हेतु ₹ 24,555 होगा तो अधिशेष को स्टीवेडोर को वापिस किया जाएगा जबकि उच्चतम औसत राजस्व आवश्यकता से कम होगा तो इस कमी को स्टीवेडोर से वसूलना होगा।**"

4. केपीटी द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2014 के अपने पत्र के माध्यम से उठाए गए बिन्दुओं और कथित पत्र की छानबीन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकट होता है:

(i) जून 2012 में केपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण ने आदेश सं.टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 के जरिए केपीटी के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) से श्रमिकों की तैनाती हेतु समेकित प्रहस्तन दरों को अनुमोदित किया है।

(ii) जैसाकि कथित आदेश के पैरा 3.1.(vi) में दर्ज किया गया है, सीएचडी में उत्पादकता उपलब्धि को पुरस्कृत करने के लिए केपीटी ने एक क्रियाविधि प्रस्तावित की थी ताकि उत्पादकता को मान्यता दी जा सके । कथित योजना में, प्रति गैंग लागत प्राप्त करने हेतु एक स्टीवेडोर द्वारा वास्तविक परिमाण प्रहस्तन के जरिए अर्जित राजस्व को उपलब्ध करवाए गए वास्तविक गैंगों की संख्या से विभाजित किया जाता है। इस प्रति गैंग

लागत की तुलना लेवी निर्धारण में विचार की गई प्रति गैंग की वार्षिक राजस्व आवश्यकता से की जाएगी। तुलना के बाद, यदि यह देखा जाएगा कि प्रति गैंग का राजस्व, प्रति गैंग की उच्चतम राजस्व आवश्यकता से अधिक है तो अधिशेष को स्टीवेडोर को वापिस किया जाएगा और यदि उच्चतम औसत राजस्व आवश्यकता से कम होगा केपीटी द्वारा इसको (कमी को) स्टीवडोर से वसूलना होगा।

(iii) जैसाकि कथित आदेश के पैरा 10 (xx) में दर्ज किया गया है, पत्तन ने यह हवाला देते हुए कि कांडला में विभिन्न प्रकार के पचास शुष्क बल्क कार्गो का प्रहस्तन किया जाता है जिनका अलग-अलग उत्पादनता स्तर है और इन कार्गो को एक समूह में लाना कठिन कार्य है, उत्पादनता से जुड़ी दरें (कार्गो वारी) को प्रस्तावित करने हेतु कठिनाइयों को बयान किया है। उपरोक्त पर गौर करते हुए, केपीटी ने बताया है कि प्रत्येक किस्म के कार्गो हेतु उत्पादनता से जुड़ी दरें प्रदान किए जाने से पत्तन उपयोक्ताओं से प्रभारों की वसूली में मुश्किले बढ़ सकती हैं। अतएव, केपीटी ने यह राय दी थी कि इसके द्वारा विचार की गई कार्यपद्धति उत्पादनता को तुरंत/तत्क्षण मान्यता देगी और (इसको) कार्यान्वयन करना आसान है और स्टीवेडोर्स और प्रचालन कर्मचारियों द्वारा समझ ली गई है।

(iv) केपीटी द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अनुसूची के अन्तर्गत एक टिप्पणी प्रदान की थी जो उपरोक्त पैरा 2.2. में स्पष्ट की गई है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि, कथित नोट केपीटी की प्रस्ताव के अनुसार ही है, केवल एक अंतर है कि इस प्राधिकरण ने विशेषरूप से औसत राजस्व आवश्यकता ₹ 24,555 प्रति गैंग पर प्रदान की है, जो इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए अनुमान पर आधारित है (और) जो आदेश के संलग्नक के रूप में संलग्न है। तथापि, इस पर ध्यान देना उचित होगा कि, ₹ 24,555 प्रति गैंग अनुमानित औसत राजस्व आवश्यकता पर केपीटी को कोई शिकायत नहीं है ।

(v) केपीटी ने प्रस्तुति दी है कि जबकि इकाई दर ₹ 24,555 प्रति-गैंग की राजस्व आवश्यकता पर विचार करते हुए प्राप्त की गई है और विदेशी कार्गो हेतु कार्गोवार पृथक प्रतिटन दर और हकदार तटीय कार्गो हेतु इसके प्रतिरूप विदेशी कार्गो के लिए प्रदत्त दर का 60% पर रियायती दर प्रदान की गई है, उत्पादकता उपलब्धि और उत्पादनता अन्-उपलब्धि हेतु प्रदत्त नोट तटीय कार्गो हेतु पृथक राजस्व आवश्यकता राशि प्रदान नही करता है ।

(vi) केपीटी ने प्रचलित दरमान के अनुसार प्रदत्त ₹ 24,555 प्रति गैंग की समान राजस्व आवश्यकता के मुक़ाबले विदेशी कार्गो हेतु (लौह अयस्क और तापीय कोयला के अलावा) ₹ 25,578 प्रति-गैंग की और तटीय कार्गो हेतु (लौह अयस्क और तापीय कोयला के अलावा) ₹ 15,347 प्रति गैंग की राजस्व आवश्यकता शामिल करने के लिए प्रचलित नोट संशोधित करने हेतु प्रस्ताव दिया है। लौह अयस्क और तापीय कोयला हेतु केपीटी ने राजस्व आवश्यकता को ₹ 24,555 (प्रति गैंग) पर ही बरकार रखने का प्रस्ताव किया है क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार यह सभी कार्गो तटीय रियायत के हकदार नहीं हैं।

(vii) (क) इस संदर्भ में यह गौरतलब है कि प्रतिटन लेवी प्राप्त करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश में ₹ 24,555 प्रति गैंग की अनुमानित राजस्व आवश्यकता पर विचार किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश में प्रदत्त विदेशी कार्गो हेतु सीएचडी लेवी की प्रतिटन इकाई दर में हकदार कार्गो को, अर्थात् तापीय कोयला और लौह अयस्क

कार्गो के अलावा, उपलब्ध की जानेवाली रियायत का प्रभाव पहले से ही समाहित है। अब केपीटी ने विदेशी कार्गो (तापीय कोयला और लौह अयस्क के अलावा) हेतु प्रति-गैंग की औसत राजस्व आवश्यकता को, स्पष्टरूप से तटीय रियायत प्रभाव ग्रहण करते हुए ₹ 25,578 के उच्चतर स्तर पर दोबारा परिकलित किया है। कथित आदेश में ₹ 24,555 तक विचार की गई प्रति-गैंग राजस्व आवश्यकता में, जो सभी वस्तुओं हेतु प्रतिटन लेवी प्राप्त किये जाने हेतु आधार बनी है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हकदार कार्गो पर तटीय रियायत का प्रभाव पहले से ही शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए विदेशी कार्गो हेतु उर्वरक के अनुमोदित इकाई लेवी, ₹ 59.51 प्रतिटन और तटीय कार्गो हेतु ₹ 35.71 प्रतिटन लागू करने से, इस उर्वरक की प्रक्षेपित विदेशी और तटीय कार्गो यातायात से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व क्रमश: ₹ 660,21,817 और ₹ 44,01,454 तक प्राप्त होगा जिसका पूर्णयोग ₹ 704,23,271 होगा। प्रक्षेपित उर्वरक कार्गो यातायात के प्रहस्तन हेतु लगने वाले अनुमानित 2868 गैंगों पर विचार करते हुए, प्रति-गैंग राजस्व ₹ 24,555 (अर्थात ₹ 70423272/2868 गैंग) होगा। इस प्रकार जो दिया जाता है, चूंकि विदेशी कार्गो की लेवी प्राप्त करने हेतु पात्र तटीय कार्गो पर तटीय रियायत का प्रभाव पहले से ही शामिल कर लिया गया है, (तापीय कोयला और पीओएल के अलावा) कार्गो के प्रति गैंग राजस्व का पुन:परिकलन हेतु केपीटी द्वारा अपनाई गई पद्धति उचित नहीं है। इसलिए, नोट में प्रदान किए जाने हेतु विदेशी कार्गो की औसत राजस्व आवश्यकता में केपीटी द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन ₹ 25,578 स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

(ख) तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि केपीटी द्वारा बताई गई, नोट में संदिग्धता/अस्पष्टता पर विचार किया जाना समुचित होगा। यह स्वीकारना होगा कि अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त नोट को कार्यान्वित करने हेतु यदि तटीय कार्गो की रियायत राशि (राजस्व) सूचित नहीं की गई तो संदिग्धता/अस्पष्टता पैदा हो सकती है क्योंकि आदेश तटीय कार्गो हेतु तटीय दर प्रदान करता है किंतु प्रति गैंग की राजस्व आवश्यकता से तुलना किये जाने हेतु इस प्रकर की रियायत राशि प्रदान नहीं की गई है। संक्षेप में, प्रचलित नोट के अनुसार तटीय कार्गो के प्रहस्तन द्वारा यदि बेहतर उत्पादकता प्राप्त कर ली जाती है और लेवी की रियायती दर के कारण कम राजस्व प्राप्त किया जाता है तो बेहतर उत्पादकता के लिए पुरस्कृत किए जाने के बजाय स्टीवेडोर्स को दंडित किया जाएगा और वह केपीटी को भुगतान करेगा। इसलिए, इस संमदिग्धता/अस्पष्टता को दूर करने के लिए नोट में यह सूचित करते हुए उचित बदलाव करना आवश्यक है कि तटीय कार्गो हेतु, तापीय कोयला और पेल्लेट सहित लौह अयस्क के अलावा, प्रति गैंग की अधिकतम राजस्व आवश्यकता की गिनती ₹ 14,733 प्रति गैंग (अर्थात ₹ 24,555 प्रति गैंग का 60%) तक करनी होगी। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि नोट में प्रस्तावित संशोधन (के कारण) दिनांक 13 अगस्त, 2013 के प्रशुल्क आदेश में अनुमानित राजस्व आवश्यकता में अथवा कथित आदेश में अनुमोदित प्रतिटन लेवी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। प्रस्तावित संशोधन (का उद्देश्य) संदिग्धता/अस्पष्टता दूर करते हुए, केपीटी को अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त टिप्पणी कार्यान्वित करने देना है।

(viii) तदनुसार, कथित धारा 3 के अन्तर्गत प्रचलित टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाती है:

"प्रति गैंग की लागत प्राप्त करने के लिए स्टीवेडोर द्वारा प्रहस्तित वास्तविक परिमाण के राजस्व को उपलब्ध करवाए गए वास्तविक गैंगों की संख्या से विभाजित किया जाना है और इसकी तुलना प्रति गैंग की राजस्व आवश्यकता से की जानी है। यदि प्रति गैंग का वास्तविक राजस्व प्रति गैंग अधिकतम औसत राजस्व आवश्यकता, **अर्थात्** विदेशी कार्गो प्रहस्तन हेतु ₹ 24,555 अथवा तटीय कार्गो (तापीय कोयला और कच्चे तेल सहित पीओएल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पेल्लेट्स के अलावा) प्रहस्तन हेतु ₹ 14,733 से अधिक होगा तो, अधिशेष स्टीवेडोर को वापिस किया जाएगा, और यदि कम होगा तो इसे स्टीवेडोर से वसूल किया जाएगा।"

(ix) दिनांक 13 अगस्त, 2013 का कथित आदेश भारत का राजपत्र में 2 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। कथित आदेश के जरिए अनुमोदित दरें 30 अक्तूबर, 2013 से क्रियान्वित की गई हैं। आमतौर पर, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश, आदेशों को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने वाली तिथि से 30 दिन बीतने के बाद कार्यान्वित किए जाते हैं। तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि यह टिप्पणी, जिस में संशोधन प्रस्तावित है, धारा 3 में प्रदत्त दरों को शासित करने वाली एक शर्त है। चूंकि टिप्पणी में अनुमोदित संशोधन प्रचलित टिप्पणी में अस्पष्टता को दूर करने के लिए है, (इसलिए) इस संशोधन का कार्यान्वयन (भी), आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 के माध्यम से अनुमोदित संशोधित सीएचडी लेवी के कार्यान्वयन की तिथि से ही किया जाएगा।

संयोगवश, यह गौरतलब है कि दिनांक 11 फरवरी, 2014 को आयोजित अपने न्यासी मण्डल की बैठक में संकल्प सं. 180 के माध्यम से केपीटी ने भी निर्णय लिया है कि इस प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन इसके द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार ही (इस) टिप्पणी को कार्यान्वित किया जाएगा। इसलिए, प्रस्तावित संशोधन को भी आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 के क्रियान्वयन की तिथि से क्रियान्वित किया जाता है।

5.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिये गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निर्णय लेता है कि आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त, 2013 के माध्यम से अध्याय–III की धारा 3 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रचलित टिप्पणी को निम्नलिखित टिप्पणी से प्रतिस्थापित किया जाए:

"पति गैंग की लागत प्राप्त करने के लिए स्टीवेडोर द्वारा प्रहस्तित वास्तविक परिमाण के राजस्व को उपलब्ध करवाए गए वास्तविक गैंगों की संख्या से विभाजित किया जाना है और इसकी तुलना प्रति गैंग की राजस्व आवश्यकता से की जानी है। यदि प्रति गैंग का वास्तविक राजस्व, प्रतिगैंग अधिकतम औसत राजस्व आवश्यकता **अर्थात्** विदेशी कार्गो प्रहस्तन हेतु ₹ 24,555 अथवा तटीय कार्गो (तापीय कोयला और कच्चे तेल सहित पीओएल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पेल्लेट्स के अलावा) प्रहस्तन हेतु ₹ 14,733 से अधिक होगा

तो, अधिशेष स्टीवेडोर को वापिस किया जाएगा, और यदि यह कम होगा तो इसे स्टीवेडोर से वसूल किया जाएगा।”

5.2. अनुमोदित संशोधन आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 के क्रियान्वयन की तिथि से ही क्रियान्वित किया जाता है।

5.3. केपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपने दरमान में प्रासांगिक नोट को उचित रूप से संशोधित करे।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञा.-III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, 18th August, 2014

No. TAMP/41/2012-KPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Kandla Port Trust (KPT) proposing amendment to the Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13 August, 2013 passed by this Authority disposing of the proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of per tonne rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division (CHD) of the port.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/41/2012-KPT

Kandla Port Trust **…** **Applicant**

QUORUM:

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of August, 2014)

This case deals with the amendment proposed by the Kandla Port Trust (KPT) to a Note prescribed in the Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013 passed by this Authority relating to the proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of per tonne rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division (CHD) of the port.

2.1. This Authority had passed an Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013 disposing of the proposal filed by the KPT for fixation of per tonne rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of CHD of the port which was notified in the Gazette of India on 2nd September, 2013 *vide* G. No. 229.

2.2. Based on the submissions made by the KPT the following Note was prescribed below clause 3-Charges for Composite Rate for On-Board Labour of Cargo Handling Division at Kandla Port Trust, attached as Annex–IV to the Order:

> “The revenue for actual quantity handled by a stevedore to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ₹24,555/-, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore.”

3. In this context, the KPT, vide its letter dated 10th March, 2014, has made the following submissions:

(i) While reproducing the Note under clause 3 in Annexure IV to the said Order, the KPT has stated that the same average revenue requirement of ₹24,555 has been prescribed for both coastal as well as foreign cargo. Thus, the benefit of rebate of 40% available to coastal cargo as per directives of Government of India (GOI) has been taken away.

(ii) In this connection, the Kandla Stevedores Association Ltd. (KSA) has addressed a letter dated 27th January, 2014 to the KPT, a copy of which is forwarded by the port with its letter dated 10 March, 2014. The KSA in its above letter as stated as below:

(a) The foot note at Annex-IV in TAMP Notification dated 13th August, 2013 mentions the revenue requirement of ₹24,555 per gang without bifurcation of foreign and/or coastal cargo.

(b) In absence of a bifurcation in the per gang rate requirement, giving effect to the 40% rebate on Coastal rates as envisaged in the per MT rates is not practically possible.

(c) In view of above, the KSA has requested the KPT to address the anomaly suitably and to request TAMP to notify the bifurcation based on applicable formula in per gang rates for foreign and coastal cargo respectively.

(iii) The issue raised by KSA has been examined by the KPT and the port has worked out the revised per gang average revenue requirement (for the purpose of Note only) by factoring a rebate of 40% to coastal cargo as under:

(a)	Foreign cargo (Other than iron ore and thermal coal)	:	₹25,578/-
(b)	Coastal cargo (Other than iron ore and thermal coal)	:	₹15,347/-

The KPT has also stated that the average revenue requirement per gang for iron ore and thermal coal will, however, be un-changed at ₹ 24,555 for both coastal as well as foreign cargo.

(iv) In view of the above, the KPT has requested to modify the said Note under clause 3 of Annexure–IV. The KPT has also furnished Resolution passed by its Board of Trustees in its meeting held on 11th February, 2014 approving the following note for removing the anomaly in the existing note relating to revenue requirement for handling foreign and coastal cargo:

"**The revenue for actual quantity handled by a stevedore to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ₹25,575 for Foreign Cargo (other than iron ore and thermal coal), ₹15347 for Coastal Cargo (other than iron ore and thermal coal) and ₹24,555 from iron ore and thermal coal, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall, the same shall be recovered from the stevedores."**

4. With regard to the points made by the KPT in its letter dated 10th March, 2014 and scrutiny of the said letter, the following emerges:

(i) Based on the proposal filed by the KPT in June 2012, this Authority has approved the composite handling rates for deployment of labour from the Cargo Handling Division (CHD) of the KPT vide Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013.

(ii) As recorded in para 3.1. (vi) of the said Order, in order to recognise productivity the KPT had proposed a mechanism to reward productivity achievement in CHD. In the said scheme, revenue earned by a stevedore from handling actual quantity is divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost. This per gang cost is compared with the annual revenue requirement per gang considered in determining the levy. If it is seen on comparison that the revenue per gang is more than the maximum revenue requirement per gang, the surplus would be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered by the KPT from the stevedore.

(iii) As recorded in para 10(xx) of the said Order, the port had expressed difficulties in proposing productivity linked rates (cargo wise) citing that there are fifty different types of dry cargo items handled at Kandla with each having different productivity levels and grouping these cargo items is a tedious process. In view of that the KPT had submitted that prescribing productivity linked rates for each cargo type would complicate the realization of charges from port users. The KPT had, therefore, opined that the methodology envisaged by it will recognise productivity instantly and is very easy to implement and is understood by stevedores and operating staff.

(iv) Based on the submissions made by the KPT, this Authority had prescribed a note under the schedule which is brought out in para 2.2. above. It is relevant here to mention that the said note is as per the proposal of the KPT with the only difference being that this Authority specifically prescribed the average revenue requirement per gang at ₹24,555 which was based on the estimates considered by this Authority as attached as Annex-II of the Order. It is, however, noteworthy that the KPT has no issue on the estimated average revenue requirement of ₹24,555 per gang.

(v) The submission made by KPT is that whilst the unit rate is derived considering the revenue requirement of ₹24,555 per gang and separate per tonne rate is prescribed cargo-wise for foreign cargo and concessional rate for entitled coastal cargo at 60% of the rate prescribed for its foreign counterpart, the note prescribed for productivity achievement/non-achievement does not prescribe separate revenue requirement amount for coastal cargo.

(vi) The KPT has proposed to amend the existing note to incorporate revenue requirement per gang for foreign cargo (other than iron ore and thermal coal) at ₹25,578/- and coastal cargo (other than iron ore and thermal coal) at ₹15,347 as against the uniform revenue requirement of ₹24,555 per gang prescribed as per the existing Scale of Rates. For iron ore and thermal coal, the KPT has proposed to retain the revenue requirement at ₹24,555 as these cargoes are not entitled for coastal concession as per the Government policy.

(vii) (a) In this context, it is noteworthy that the Annual Revenue Requirement estimated at ₹24,555 per gang in the Order dated 13th August, 2013 is considered for arriving at the per tonne levy. It is relevant here to mention that the unit per tonne rate of CHD levy for foreign cargo prescribed in the Order dated 13th August, 2013 already captures the impact of coastal concession applicable for the entitled cargo i.e. cargo other than thermal coal and iron ore. The KPT has now recomputed the average revenue per gang a higher level of at ₹25,578 for foreign cargo (other than thermal coal and iron ore) apparently capturing the effect of coastal concession. The revenue requirement per gang estimated at ₹24,555 in the said Order which forms the base for arriving at the per tonne levy for all commodities need not undergo any change as the impact of coastal concession has already been captured for the entitled cargo. To cite an example, applying the unit levy approved for foreign cargo for fertilizer at ₹59.51 per tonne and ₹35.71 per tonne for coastal cargo, the total revenue for the traffic projected from this fertilizer cargo comes to ₹660,21,817 and ₹44,01,454 for foreign cargo and coastal cargo respectively aggregating to ₹704,23,271. Considering 2868 gangs estimated to handle the projected fertilizer cargo traffic, the per gang revenue will come to ₹24,555 (i.e. ₹70423272/2868 gangs). Thus, it is reiterated that since the impact of coastal concession for eligible coastal cargo is already captured while arriving at the levy for foreign cargo, the approach adopted by the KPT to re-compute the per gang revenue for cargo (other than thermal coal and POL) is not found to be correct. Hence, the proposal of the KPT to alter the average revenue requirement for prescription in the note at ₹25,578 for foreign cargo is not acceptable.

(b) It is, however, admitted that the anomaly in the note pointed out by KPT merits consideration. It has to be recognised that for implementation of the note prescribed under the schedule, if concessional amount (revenue) for coastal cargo, is not indicated it would lead to an anomaly as the Order prescribes concessional rate for coastal cargo, but for comparison with the revenue requirement per gang such concessional amount is not prescribed. In short, as per the existing note even if higher productivity is achieved by handling coastal cargo and realising less revenue because of concessional rate of levy, the stevedores will be penalised and will have to pay to KPT instead of being rewarded for productivity achievement. Hence, to remove this anomaly, the note needs to be suitably modified to state that for coastal cargo, other than thermal coal and iron ore including pellets, the maximum revenue requirement per gang has to be reckoned as ₹14,733/- per gang (i.e. 60% of ₹24,555/- per gang). It is relevant here to state that the proposed modification in the note will not in any way alter the revenue requirement

estimated in the tariff Order dated 13th August, 2013 or the per tonne levy approved in the said Order. The amendment proposed is to enable KPT to implement the prescribed note under the schedule by removing the anomaly.

(viii) Accordingly, the existing note below the said clause 3 is replaced by the following note:

"The revenue for actual quantity handled by a stevedore is to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ₹24,555 for handling foreign cargo or ₹14733 for handling coastal cargo (other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets), the surplus will be refunded to the stevedore while incase of shortfall the same shall be recovered from the stevedore."

(ix) The said Order dated 13th August, 2013 was notified in the Gazette of India on 2nd September, 2013. The rates approved in the said Order are effective from 30th October, 2013. Ordinarily, the Orders approved by this Authority are implemented after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette. However, it is noteworthy that the note to which amendment is proposed is a condition governing the rates prescribed in clause 3. Since the amendment approved to the note is to rectify the anomaly in the existing note, the amendment is made effective from the date the revised CHD levy approved vide Order No.TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013 came into effect.

Incidentally, it also noteworthy that even the KPT in its Board meeting held on 11th February, 2014 vide Resolution No.180 has decided to implement the note as per the amendment proposed by it subject to approval of this Authority. Hence, the proposed amendment is made effective retrospectively from the date the Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013 came into effect.

5.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to replace the existing note under clause 3 of Chapter III approved vide Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013 with the following note:

"The revenue for actual quantity handled by a stevedore is to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ₹24,555 for handling foreign cargo or ₹14733 for handling coastal cargo (other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets), the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore."

5.2. The amendment approved will be effective from the date the Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13th August, 2013 came into effect.

5.3. The KPT is advised to suitably modify the relevant note in its Scale of Rates.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.